



इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची

आई.आर.सी.टी.सी.ई-टिकटिंग सेवा (पर्सनल उपयोगकर्ता)



- आप भेजे गए ई-टिकट एसएमएस या ईआरएस के स्क्रीन शॉट यानी वर्चुअल रिजर्वेशन मेसेज (वीआरएम)के साथ वास्तविक पहचान पत्र लेकर यात्रा कर सकते हैं। यह टिकट पहचान पत्र (मूलरूप) के साथ ही मान्य होगा। कृपया पहचान पत्र (मूलरूप) के साथ यात्रा करें। यदि कोई यात्री मूल पहचान पत्र के बिना यात्रा करता है, तो बिना टिकट माना जाएगा और वर्तमान रेलवे नियमों के अनुसार प्रभार शुल्क लगाया जाएगा। कृपया पेपर और पर्यावरण को बचाएं और ईआरएस मुद्रित (प्रिन्ट) न करें, जब तक ऐसा करने के लिए बेहद जरूरी नहीं हो।
- ई - टिकट के बुकिंग पर ट्रेन यात्रा के दौरान एक यात्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मान्य आईडी कार्ड:- मतदाता पहचान कार्ड / पासपोर्ट / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी कार्ड / मान्यता प्राप्त स्कूल या कालेज के छात्र पहचान पत्र/ तस्वीर के साथ जारी राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक / तस्वीर के साथ जारी क्रेडिट कार्ड / आधार कार्ड।
- सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996411: 150 किलोमीटर तक की दूरी तक के लिए रेलवे द्वारा यात्रियों की स्थानीय भूमि परिवहन सेवाएं सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996416: पर्यटन टिकट के लिए रेलवे द्वारा पर्यटन स्थलों की यात्रा करना सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996421: 150 किमी से अधिक दूरी के लिए रेलवे द्वारा यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं
- यदि जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले टिकट बुक किया गया है और जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद रद्द कर दिया गया है, तो रिफंड राशि के अनुसार धन वापसी यात्री को वापस कर दिया जाएगा। हालांकि आरक्षण के समय में लगाए जाने वाले सेवा परिवर्तन की कुल राशि यात्री को नकद में वापस नहीं की जाएगी / उस खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, जिसमें ई-टिकट आदि के मामले में लेनदेन हुआ था।
- सर्विस टैक्स की वापसी केवल रेलवे मंत्रालय को विभाग से वापसी के बाद ही किया जाएगा। रद्द कर दिया गया टिकट सेवा कर की राशि की वापसी के लिए क्रेडिट नोट के रूप में माना जाएगा
- ई - टिकट के रद्दीकरण और धनवापसी के लिए ग्राहक द्वारा जनरल नियमों / सूचना का अध्ययन किया जाना चाहिए।

पीएनआर संख्या: 2503199975	गाड़ी संख्या एवं नाम : 11094/MAHANAGARI EXP	कोटा: TATKAL (TQ)
ट्रिपलेशन संख्या: 10000113830589	बुकिंग की तिथि: 08-Jan-2018 11:03:18 HRS	श्रेणी: SLEEPER CLASS (SL)
कहाँ से: VARANASI JN(BSB)	यात्रा की तिथि: 09-Jan-2018	कहाँ तक: KALYAN JN(KYN)
गाड़ी में चढ़ने का स्टेशन: VARANASI JN(BSB)	गाड़ी में बैठने की तिथि: 09-Jan-2018	निर्धारित प्रस्थान समय: 09-Jan-2018 11:20 *
कहाँ तक आरक्षण: KALYAN JN(KYN)	निर्धारित आगमन समय: 10-Jan-2018 12:55 *	वयस्क: 1 बच्चे: 0
यात्री का मोबाइल नंबर: 9840701323		दूरी: 1462 KM
यात्री का पता:	Tata power house kalyan east, -1, MAHARASHTRA - 421306	
नोट:-	N S	

किराये का विवरण :

टिकट किराया **	₹ 750.0	सात सौ पचास रुपये मात्र
आईआरसीटीसी सेवा प्रभार (जीएसटी सहित) #	₹ 0.0	जीरो रुपये मात्र
यात्रा बीमा प्रीमियम (जीएसटी सहित)	₹ 0.0	जीरो रुपये मात्र
कुल किराया (सब मिलाकर)	₹ 750.0	सात सौ पचास रुपये मात्र

ई टिकट सेवा शुल्क प्रति टिकट यात्रियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना

यात्री का विवरण :

क्रम सं	नाम	आयु	लिंग	बुकिंग स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	SANJAY P	34	Male	CNF/S12/72/SIDE UPPER	CNF/S12/72/SIDE UPPER

भारतीय रेलवे जीएसटी विवरण :

चालान संख्या : PS18250319997511 पता: Indian Railways New Delhi

आपूर्तिकर्ता की जानकारी		प्राप्तकर्ता की जानकारी		कर योग्य राशि	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूजीएसटी	आईजीएसटी	कुल कर
एसएसी कोड	जीएसटीआईएन	जीएसटीआईएन	नाम	पता	दर	राशि	दर	राशि
996421	07AAAGM0289C1ZL				750.0			0.0

यह टिकट वैयक्तिक उपयोगकर्ता पहचान पर बुक की गई है और किसी एजेंट द्वारा नहीं बेची जा सकती है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी एजेंट से खरीदी जाए तो यह उसके अपने जोखिम पर है।

आपूर्ति का स्थान: VARANASI JN(BSB) आपूर्तिकर्ता का राज्य कोड / नाम : 0/

टिकट मुद्रण का समय: 08-Jan-2018 11:05:35 HRS

क्या आप जानते हैं कि आपके किराये का 43% देश के आम नागरिक वहन करते हैं?

Are you aware that 43% of your fare is borne by the common citizens of the country?

अपना समर्थन दिखाएं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने में मदद करें और केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

Show your support and help India become corruption free.GO to <http://pledge.cvc.nic.in> and get a certificate from Central Vigilance Commission.[बिना विज्ञापन वाली आरक्षणपर्ची छापे।](#)

महत्वपूर्ण सूचनाएँ:

- ई - टिकटिंग सेवाओं के नियम और शर्तों की जानकारी के लिए, कृपया www.irctc.co.in विजिट करें।
- नई समय सारणी 1-Oct-2017 से प्रभावित है। ERS में छपे प्रस्थान व आगमन समय, गाड़ी के वर्तमान प्रस्थान व आगमन समय में अंतर हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले रेलवे सूचना संख्या 139 पर फोन कर या 139 पर संदेश भेज कर सही प्रस्थान व आगमन समय सुनिश्चित कर लें।
- धन वापसी के नियम के प्रावधानों में कुछ संशोधन है। धन वापसी के संशोधित नियम 12-11-2015 से लागू है। (विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर "धन वापसी नियम" -> "टिकट रद्दीकरण और वापसी नियम 12 नवंबर 2015 से प्रभावी" शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।)
- आरक्षित बर्थ स्थानांतरित नहीं की जा सकती है, और यह तभी वैध है जब कोई भी एक मूल पहचान पत्र यात्रा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यात्री के पास यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची की छायाप्रति / वर्चुअल/मोबाइल आरक्षण संदेश होनी अनिवार्य है, जो टीटीई के द्वारा यात्री के नाम रेलवे द्वारा बने चार्ट से सत्यापित किया जाता है। यदि यात्री के पास यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची/ वर्चुअल आरक्षण संदेश उपलब्ध नहीं है तो 50 रुपये शुल्क प्रति टिकट, टिकट जांच कर्मचारी द्वारा लिया जाएगा और उस के बदले में अतिरिक्त किराया टिकट जारी की जाएगी।
- आवेदक को इंटरनेट के माध्यम से अपनी टिकट www.irctc.co.in पर रद्द करने की अनुमति है।
- वह पी एन आर जो की पूर्णता प्रतीक्षा सूची में है, उन यात्रियों का नाम चार्ट पर नहीं दिखेंगे। उन्हें रेलगाड़ी पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। परन्तु आंशिक रूप से प्रतीक्षासूचीबद्धकर्म/आरएसी सूची वाले यात्रियों का नाम चार्ट पर होंगे।
- आंशिक रूप से प्रतीक्षा टिकट के मामले में टीटीई/ कंडक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करें, (A) बुक यात्री के यात्रा न करने पर, (B) एसी काम नहीं करने पर, (C) निम्न श्रेणी में यात्रा करने पर। धनवापसी का दावा करने के लिए ऑन लाइन टी डी आर निर्धारित समय में दर्ज कर टीटीई से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र GGM (आईटी), आईआरसीटीसी, इंटरनेट टिकटिंग सेंटर, आईआरसीए बिल्डिंग, स्टेट एंटी रोड नई दिल्ली 110055 पर भेजा जाना चाहिए।
- किसी यात्री का ई टिकट आंशिक रूप से प्रतीक्षा टिकट/आरएसी/पूर्णता प्रतीक्षा टिकट और वह यात्रा नहीं करता तो उन सभी यात्रियों को ऑन लाइन टी डीआर रेलवे धन वापसी के नियमों के अनुसार निर्धारित समय में दर्ज किया जाना

- 1/8/2018https://www.irctc.co.in/eticketing/printTicketHindi.jsf?pnr=2503199975^B^09-Jan-2018^1
- चाहिए। धन वापसी रेलवे धन वापसी नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की जायेगी।

9. आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in पर टी डीआर धनवापसी का अनुरोध पंजीकृत करने पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा, धन वापसी नियमों के अनुसार कारवाई की जाती है। (विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर सामान्य सूचना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है)

10. प्रीमियम स्पेशल ट्रेन के टिकट पर रद्दीकरण की अनुमति नहीं है।

11. कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है। लेकिन ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले रद्द की गई टिकट पर ही धनवापसी होगी।

12. आरएसी/आंशिक कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है। हालांकि धनवापसी रेलवे के मौजूदा धनवापसी प्रावधानों के तहत होगी।

13. एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या कुटुंब टिकट की दसा में, जब कुछ यात्रियों का टिकट पुष्टिकृत है और अन्य का आर ए सी या प्रतीक्षासूचि में है तो पुष्टिकृत यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार कम करने के पश्चात किराए का पूर्ण प्रतिदाय इस शर्त के अधधीन अनुज्ञेय होगा की ये टिकट ऑनलाइन रद्द करेंगे या रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीस मिनट पहले तक सभी यात्री ऑनलाइन टी डी आर फाइल करेंगे।

14. सुविधा ट्रेन में, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से या चार्ट बनने तक जो भी पहले हो उस समय से 6 घंटे पहले तक पुष्टीकृत / आरएसी टिकट को रद्द करने पर केवल 50%धन वापसी का प्रवधान है।

15. ट्रेन रद्द होने की स्थिति में स्वचालित प्रणाली द्वारा पूर्ण धन वापिस किया जाएगा। यदि ट्रेन अपने गंतव्य से आंशिक रूप से रद्द है तो यात्री को अपने बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटों के भीतर टीडीआर दर्ज करना होगा।

16. यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के समय ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करे और ट्रेन में धूम्रपान वर्जित है।

17. ग्राहक सहायता के लिए सम्पर्क करें: 24x7 Hrs. 011-23340000/011-39340000, चेन्नई ग्राहक सहायता: 044-25300000 या ई-मेल करें care@irctc.co.in

18. 1500 से अधिक ट्रेनों में भोजन के लिए विविध व्यंजन उपलब्ध हैं। अपनी सीट पर अपने पसंदीदा भोजन की डिलीवरी पाने के लिए www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग ऑन करें या टोलफ्री नंबर 1323 पर कॉल करें। खान पान सेवाओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुझाव एवं शिकायत के लिये कृपया टोल फ्री नंबर 1800-111-321/1322 (07.00 प्रातः से 11.00 रात्रि) पर संपर्क करें।

19. रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182

20. भारतीय पैसेंजर हेल्पलाइन नंबर 138

21. पीएनआर और ट्रेन आगमन / प्रस्थान जानकारी नंबर 139

22. यात्रा के दौरान परेशानी की स्थिति में रिपोर्ट करने के लिए, रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 डायल करें।

23. सभी दिए गए नियम और शर्तें सभी लागू होंगे जबकि यात्रा बीमा सुविधा का विकल्प चुना गया हो। कृपया www.irctc.co.in वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध यात्रा बीमा नियम और शर्तों को देखें

24. कभी भी अनधिकृत एजेंट या व्यक्ति जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपनी निजी आईडी का प्रयोग कर रहे हैं उनसे ई-टिकट न खरीदें। इस तरह की टिकट भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के अनुच्छेद 143 के तहत रद्द करने और बिना धनवापसी किए जब्त करने योग्य होगी। अधिकृत एजेंट की सूची www.irctc.com पर उपलब्ध है ई-टिकट एजेंट लोकेटर

प्रिय ग्राहक अपनी पात्रता जानें	
सांकेतिक मानक मेन्यू मेल एक्सप्रेस :- (खानपान शुल्क टिकट किराया में शामिल नहीं हैं)	
टी (टी बैग के साथ)/कॉफी (150 एमएल)	Rs. 7/-
रेल नीर / पैकेज किए गए पेयजल (ठंडा)	
(a). 1 लीटर बोतल/1000एमएल	Rs. 15/-
(b). 500 एमएल बोतल	Rs. 10/-
जनता मील या इकोनॉमी खाना या जनता खाना	Rs. 20/-
मानक नाश्ता	
वेजिटेरियन नाश्ता - ब्रेड बटर और कटलेट -02 वेज कटलेट (100ग्रा.) + 02 ब्रेड स्लाइस+ + 10 ग्रा. बटर चिपलेट + टोमेटा सॉस	Rs. 30/-
वेजिटेरियन नाश्ता - इडली और वडा - 04नं. इडली (200ग्रा.)+04 नं- उडद वडा (120 ग्रा.) +50 ग्रा. चटनी	Rs. 30/-
नॉन-वेज नाश्ता - 2 अंडों का ऑमलेट + 02 ब्रेड स्लाइस + 10 ग्रा- बटर चिपलेट + टोमेटा सॉस	Rs. 35/-
मानक पुलाव भोजन - दोपहर का भोजन / डिनर	
वेजिटेरियन - चावल (150ग्रा.) + परांठा (02 नं.) /चपाती (04नं.) + दाल/सांभर (150ग्रा.) + मिक्स वेज (100ग्रा.) + आचार सैशे + 250 एमएल पैकेज्ड पानी का गिलास	Rs. 50/-
नॉन-वेजिटेरियन - चावल (150ग्रा.) + परांठा (02 नं.) /चपाती (04नं.) + दाल/सांभर (150ग्रा.) + अंडा करी (02 नं-अंडेs) + आचार सैशे + 250 एमएल पैकेज्ड पानी का गिलास	Rs. 55/-